"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2016—ज्येष्ठ 13, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 मई 2016

क्रमांक ई-1-01/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अशोक चौबे, संयुक्त आयुक्त, कार्यालय विकास आयुक्त, छ.ग. को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर के पद पर पदस्थ करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

नया रायपुर, दिनांक 12 मई 2016

क्रमांक ई-1-8/2015/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सेवानिवृत्त अधिकारियों को भूतलक्षी प्रभाव से आवंटन वर्ष से 13 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के उपरांत, तालिका के क्रमांक 3 में दर्शित तिथि से, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007, के नियम 3 (3) के परन्तुक के अंतर्गत, सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-4, रु. 37400-67000 और ग्रेड पे रु. 8700) में पदोन्नत किया जाता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	प्रवर श्रेणी स्वीकृति दिनांक (3)
1.	श्री एम. एस. परस्ते (2000)	01-01-2013
2.	श्री आर. पी. एस. त्यागी (2001)	01-01-2014

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक-बी-1-20/2015/4/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सेवाराम दीवान, तहसीलदार, जिला-कांकेर को राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन 5400 में पदोन्नत कर, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक नियुक्त करता है. पदोन्नति उपरांत श्री दीवान की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर रायपुर विकास प्राधिकरण में पदस्थ करने हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग को सौंपी जाती है.

2. उपर्युक्त पदोन्नति दो वर्ष की स्थानापन्नता अवधि के लिए होगी.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 मई 2016

क्रमांक ई 7-18/2004/1/2.—श्री विवेक ढाँड, भाप्रसे, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को दि. 28-05-2016 से 04-06-2016 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 05-06-2016 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विवेक ढाँड, आगामी आदेश तक मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री विवेक ढाँड को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक ढाँड, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2016

क्रमांक 428/435/अव./2013/1-8/स्था.—श्रीमती दुर्गा देवांगन, अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 12-01-2016 से 17-01-2016 तक 06 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा देवांगन आगामी आदेश तक अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती दुर्गा देवांगन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दुर्गा देवांगन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक 486/409/2015/1-8/स्था.—श्री बी. सी. साहू, विशेष सहायक, मान. मंत्री महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग को दिनांक 03-02-2016 से 10-02-2016 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. सी. साहू आगामी आदेश तक विशेष सहायक, मान. मंत्री महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बी. सी. साहू को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. सी. साहू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक 488/444/2014/1-8/स्था.—श्री जे. एन. अवस्थी, अवर सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को दिनांक 03-02-2016 से 12-02-2016 तक 10 दिवस का (दिनांक 13, 14-02-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. अवस्थी आगामी आदेश तक अवर सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जे. एन. अवस्थी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. अवस्थी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक 490/3808/2015/1-8/स्था.—श्री एन. एम. घोड़की, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) को दिनांक 18-04-2016 से 23-04-2016 तक 06 दिवस का (दिनांक 14, 15, 16, 17, 24-04-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. एम. घोड़की आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एन. एम. घोड़की को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. एम. घोड़की अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2016

क्रमांक 492/624/2010/1-8/स्था.—श्री एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 04-04-2016 से 08-04-2016 तक 05 दिवस का (दिनांक 03, 09, 10-04-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. चोपड़े आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एल. डी. चोपड़े को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल. डी. चोपड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2016

क्रमांक 494/439/2014/1-8/स्था.—श्री के. आर. मिश्रा, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 11-04-2016 से 13-04-2016 तक 03 दिवस का (दिनांक 09, 10, 14, 15, 16, 17-04-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. आर. मिश्रा आगामी आदेश तक अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री के. आर. मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. आर. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2016

क्रमांक 496/534/2010/1-8/स्था.—श्री अशफाक हुसैन सिद्‌दीकी, अवर सचिव, पशुधन विकास विभाग को दिनांक 19-01-2016 से 29-01-2016 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अशफाक हुसैन सिद्‌दीकी आगामी आदेश तक अवर सचिव, पशुधन विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अशफाक हुसैन सिद्‌दीकी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशफाक हुसैन सिद्‌दीकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2016

क्रमांक 500/1010/2015/1-8/स्था.—श्रीमती ईफ्फत आरा, संयुक्त सचिव, खनिज साधन विभाग को दिनांक 18-04-2016 से 22-04-2016 तक 05 दिवस का (दिनांक 14, 15, 16, 17-04-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती ईफ्फत आरा, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती ईफ्फत आरा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती ईफ्फत आरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2016

क्रमांक 524/936/2013/1-8/स्था.—श्री एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव, गृह विभाग को दिनांक 20-04-2016 से 30-04-2016 तक 11 दिवस का (दिनांक 19-04-2016 एवं 01-05-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. डी. कुंदानी आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एन. डी. कुंदानी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. डी. कुंदानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्रमांक 594/224/2010/1-8/स्था.—श्री पुनीत कुमार जोशी, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 22-02-2016 से 20-03-2016 तक 28 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पुनीत कुमार जोशी आगामी आदेश तक अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पुनीत कुमार जोशी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुनीत कुमार जोशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2016

क्रमांक 668/2010/2011/1-8/स्था.—श्री डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 07-04-2016 से 23-04-2016 तक 17 दिवस का (दिनांक 24-04-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. डी. कुंजाम आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री डी. डी. कुंजाम को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. डी. कुंजाम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2016

क्रमांक 670/980/2007/1-8/स्था.—श्री डी. के. माथुर, उप सचिव, गृह विभाग को दिनांक 25-04-2016 से 13-05-2016 तक 19 दिवस का (दिनांक 24-04-2016 एवं 14, 15-05-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. माथुर आगामी आदेश तक उप सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री डी. के. माथुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2016

क्रमांक 672/475/अव./2010/1-8/स्था.—श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 18-04-2016 से 27-04-2016 तक 10 दिवस का (दिनांक 14, 15, 16, 17-04-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री के. सी. वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2016

क्रमांक 674/485/अव./2010/1-8/स्था.—श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 18-04-2016 से 23-04-2016 तक 06 दिवस का (दिनांक 14, 15, 16, 17, 24-04-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. सोनी आगामी आदेश तक अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बी. एल. सोनी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एल. सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्रमांक 692/723/2013/1-8/स्था.—श्री संतोष कुमार पवार, स्टॉफ आफिसर, संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 25-04-2016 से 06-05-2016 तक 12 दिवस का (दिनांक 24-04-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री संतोष कुमार पवार आगामी आदेश तक स्टॉफ आफिसर, संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री संतोष कुमार पवार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष कुमार पवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2016

क्रमांक 744/293/अव./2016/1-8/स्था.—श्री तिलक कुमार सोरी, वित्तीय सलाहकार, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 08-02-2016 से 12-02-2016 तक 05 दिवस का (दिनांक 07, 13, 14-02-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री तिलक कुमार सोरी आगामी आदेश तक वित्तीय सलाहकार, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री तिलक कुमार सोरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिलक कुमार सोरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2016

क्रमांक 748/746/अव./2009/1-8/स्था.—श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, संयुक्त सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 25-04-2016 से 30-04-2016 तक 06 दिवस का (दिनांक 24-04-2016 एवं 01-05-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2016

क्रमांक 750/670/अव./2004/1-8/स्था.—श्री एम. एल. ताम्रकर, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 06-05-2016 से 11-05-2016 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एल. ताम्रकर आगामी आदेश तक अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. एल. ताम्रकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एल. ताम्रकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 मई 2016

क्रमांक 752/945/अव./2011/1-8/स्था.—श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा तथा रोजगार विभाग को दिनांक 18-04-2016 से 23-04-2016 तक 06 दिवस का (दिनांक 14, 15, 16, 17, 24-04-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वाय. पी. दुपारे आगामी आदेश तक अवर सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा तथा रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वाय. पी. दुपारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वाय. पी. दुपारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 5 मई 2016

क्रमांक 760/382/अव./2010/1-8/स्था.—श्री जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग को दिनांक 23-05-2016 से 04-06-2016 तक 13 दिवस का (दिनांक 21, 22-05-2016 एवं 05-06-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जेवियर केरकेट्टा आगामी आदेश तक अवर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जेवियर केरकेट्टा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जेवियर केरकेट्टा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 5 मई 2016

क्रमांक 762/273/अव./2014/1-8/स्था.—श्री याकुब खेस्स, उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा श्रम विभाग को दिनांक 16-05-2016 से 31-05-2016 तक 16 दिवस का (दिनांक 14, 15-05-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री याकुब खेस्स आगामी आदेश तक उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा श्रम विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री याकुब खेस्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री याकुब खेस्स अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 5 मई 2016

क्रमांक 764/276/अव./2010/1-8/स्था.—श्री अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 16-05-2016 से 20-05-2016 तक 05 दिवस का (दिनांक 14, 15, 21, 22-05-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह आगामी आदेश तक अवर सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अरूण कुमार सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 मई 2016

क्रमांक एफ 1-05/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा वन संरक्षक स्तर के निम्नांकित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को मुख्य वन संरक्षक (वेतनमान PB-4 रु. 37,400—67000 एवं ग्रेड वेतन रु. 10,000) के पद पर पदोन्नत करता है :—

1. श्रीमती संजीता गुप्ता (1997)
2. श्री ओ. पी. यादव (1997)
3. श्री एस. एल. साव (1998)
4. श्री एच. एल. रात्रे (1998)

नया रायपुर, दिनांक 11 मई 2016

क्रमांक एफ 1-05/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा मुख्य वन संरक्षक स्तर के निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री तपेश कुमार झा (1989)	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीवन और क्षेत्रीय निदेशक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, बिलासपुर.	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री प्रेम कुमार (1994)	मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर.	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर.
3.	श्रीमती संजीता गुप्ता (1997)	मुख्य वन संरक्षक एवं प्रभारी महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर.	मुख्य वन संरक्षक, पारिस्थितिकी-पर्यटन और जैवविविधता संरक्षण, रायपुर.
4.	श्री ओ. पी. यादव (1997)	मुख्य वन संरक्षक एवं प्रभारी क्षेत्रीय महाप्रबंधक, वन विकास निगम, बिलासपुर.	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीवन और क्षेत्रीय निदेशक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, बिलासपुर.
5.	श्री एस. एल. साव (1998)	मुख्य वन संरक्षक एवं प्रभारी वन संरक्षक (प्रशा.राज.) तथा कैम्पा का अतिरिक्त प्रभार.	मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग., रायपुर.
6.	श्री एच. एल. रात्रे (1998)	मुख्य वन संरक्षक एवं प्रभारी वन मण्डलाधिकारी, महासमुंद वनमण्डल, महासमुंद.	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) कांकेर वृत्त, कांकेर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 7-34/2015/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, आयुक्त सह संचालक, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत् प्रस्तुत अभनपुर निवेश क्षेत्र की अभनपुर विकास योजना 2031 का अनुमोदन करता है. अभनपुर निवेश क्षेत्र की अभनपुर विकास योजना, 2031 उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है.

2. अभनपुर निवेश क्षेत्र की अभनपुर विकास योजना 2031 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :—

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, अभनपुर (छ.ग.)
3. कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

3. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत् छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से अभनपुर निवेश क्षेत्र की अभनपुर विकास योजना 2031 प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 7-34/2015/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में अभनपुर निवेश क्षेत्र की अभनपुर विकास योजना 2031 इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 28-4-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 28th April 2016

No. F 7-34/2015/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government hereby accord approval to the Abhanpur Planning Area, Abhanpur Development Plan-2031 submitted by Directorate under sub section (3) of section 18 of said Adhiniyam. The same is being published in "Chhattisgarh Rajpatra" for as required by sub-section (4) of section 19 of the said Adhiniyam.

2. The copy of the approved Abhanpur Planning Area, Abhanpur Development Plan-2031 shall be available during office hours for inspection in the following offices :—

1. Joint Director, Town & Country Planning, Raipur (C.G.)
2. Nagar Panchayat Parishad, Abhanpur (C.G.)
3. Collector, Raipur (C.G.)

3. The Abhanpur Planning Area, Abhanpur Development Plan-2031 shall come into operation from the date of publication of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub-section (5) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 मई 2016

क्रमांक 544/एफ 1-3/2016/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा क्रेडा के नियम एवं रेग्यूलेशन्स की कंडिका में प्रावधानित उपबंधों के तहत श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक 13-04-2016 से आगामी आदेश पर्यन्त क्रेडा के शासी निकाय में पदेन सदस्य नामित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 40/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कोरी प.ह.नं. 8	4.24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सभाग, कोटा.	घोंघा जलाशय डूबान क्षेत्र हेतु. (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्रमांक 25/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	लाखासार प.ह.नं. 32	0.79	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सभाग, कोटा.	विन्ध्यासर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्रमांक 30/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	रतनपुर प.ह.नं. 37	0.35	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	मेलनाडीह एनीकट पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्रमांक 45/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	अमने प.ह.नं. 14	6.39	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)	कठमुण्ड़ा व्यपवर्तन के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2016

क्रमांक 01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	निपनिया प.ह.नं. 12	5.19	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2016

क्रमांक 02/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	भोजपुरी प.ह.नं. 08	10.77	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2016

क्रमांक 03/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पेण्डरवा प.ह.नं. 07	3.39	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, 28 अप्रैल 2016

क्रमांक/113/अ.वि.अ./भू-अर्जन/19 अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-कुलिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.21 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	282	0.03
	299	0.11
	300	0.07
योग	3	0.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बकमा-कुलिया मार्ग के कांदाझरी नाला पर पूल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, 28 अप्रैल 2016

क्रमांक/115/क/भू-अर्जन/06 अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-उतेकेल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.01 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	506	0.15
	518	0.30
	520	0.60
	523	0.96
योग	4	2.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, 28 अप्रैल 2016

क्रमांक/117/क/भू-अर्जन/13 अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-माटीदरहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.54 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
687	0.05
686	0.04
693	0.08
685	0.03
688	0.27
695	0.06
696	0.09
698	0.22
680	0.03
697	0.17
699	0.04
700	0.51
441	0.01
442	0.11
672	0.31
611/1	0.23
279/1	0.01
611/2	0.01
279/2	0.01
610	0.07
605	0.08
604	0.18
603/1	0.06
463	0.01
458	0.59
454	0.22
456	0.32
453/1	0.05
453/3	0.01
453/2	0.08
452	0.01
445/1	0.14
445/2	0.18
439	0.02
443	0.08
434	0.04
435	0.26
436	0.15
433	0.12
410	0.13
415/1	0.02
412	0.10
403	0.23
464	0.02
468	0.01

	(1)	(2)
	437	0.07
	438	0.01
योग	47	5.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 9 मई 2016

क्रमांक/75/वा./भू.अ./प्र.क्र./2/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अंतागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कलगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.43 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	127	0.14
	116	0.11
	115	0.06
	114	0.04
	166	0.34
	209	0.05
	213	0.05
	212	0.08
	214	0.15
	222	0.05
	237	0.12
	240/1	0.04
	238	0.07
	240/2	0.08
	241	0.05
योग	15	1.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलगांव नाला पर सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक/02/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-लालपुरखुर्द, प.ह.नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.195 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37/1	0.076
38	0.192
39/2	0.096
39/1	0.452
40/4	0.161
40/3 ग, 42/3 ग	0.073
40/5, 42/5	0.073
40/3 ख, 42/3 ख	0.072
योग	1.195

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोड़ला मोहगांव बायपास मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक/04/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-बोड़ला, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.468 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
554/1, 557, 558/2	0.166
557, 558/1	0.243
559/6	0.109
559/1	0.069
559/8	0.004
559/10	0.002
559/7	0.002
559/9	0.008
559/12	0.008
559/11	0.008
559/13	0.006
568/2	0.085
568/1	0.045
569/2	0.057
569/1	0.057
565/1	0.134
567/1, 566/1	0.134
507, 508, 509/2, 510/2-3, 505	0.437
511	0.097
507, 508, 509/6	0.170
501/1	0.024
481/3	0.194
481, 482/2	0.243
478/10	0.061
478/6	0.032
478/8	0.073
योग	2.468

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोड़ला मोहगांव बायपास मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्रमांक 42/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बरलिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.680 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	86	0.445
	92	0.012
	93/2	0.417
	117	0.008
	94	0.146
	95	0.433
	97/3	0.170
	114/3	0.121
	114/1	0.121
	113/5	0.121
	114/2	0.045
	115/1	0.020
	115/2	0.008
	111/1	0.152
	111/2	0.152
	111/3	0.152
	110/1	0.073
	109	0.142
	132	0.012
	133/1	0.369
	133/2	0.178
	133/3	0.170
	133/4	0.167
	133/5	0.046
योग	24	3.680

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी तलाइपाली कोल माईन्स परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्रमांक 45/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-एकताल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.296 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
202/1 क	0.049
208/2	0.304
208/3	0.300
219/2 ङ	0.405
219/3 क	0.364
219/4 क	0.971
219/4 ख	0.040
225	0.324
226	0.750
227	0.162
231/2	0.020
232/1	0.040
232/2	0.040
234/1	0.121
235/1	0.061
235/2	0.061
236/2	0.101
236/4	0.101
237	0.304
270/1 क	1.457
271/4	0.101
287/1	0.045
287/2	0.040
287/3 क	0.053
287/4	0.121
296/2	0.060
296/3 क	0.068

(1)	(2)
296/4	0.234
296/7	0.008
297/1	0.124
297/2	0.061
298/1	0.061
298/2	0.020
298/3	0.061
299/1	0.065
303/1	0.109
303/2	0.049
304/3	0.151
305/1	0.688
305/2	0.129
306	0.085
307/2	0.140
308	0.081
309/1	0.202
309/2	0.202
310/1	0.081
311	0.231
312/1	0.291
312/3	0.202
313	0.081
770/1	0.081
771/1	0.101
777/1	0.458
779/1	0.340
781/1/1, 781/2/1	0.081
781/1/2, 781/2/2	0.081
797/2	0.049
798/1	0.081
798/2	0.028
798/4	0.081
799/1	0.253
799/3	0.127
799/4	0.126
800	0.142
885/1	0.101
885/2	0.069
885/3	0.152
885/4	0.110
885/5	0.117
887	0.101
898	0.109
899/1	0.092
899/2	0.092
900/1	0.506
901/1	0.089
288	0.158
289/3	0.175
289/4	0.040
289/5	0.182
290	0.154
291	0.109
292/1	0.101
292/10	0.016
292/2	0.032
292/3	0.065
292/5	0.109
292/7	0.016
292/8	0.016
314/1	0.202
759	0.344
760/1	0.681
761	0.040
762	0.081
763	0.020
765/1	0.121
765/3	0.121
767/1	0.081
767/2	0.045
767/3	0.081
901/3	0.081
901/4	0.081
902/1	0.046
902/2	0.047
287/6	0.121
287/5	0.040
301	0.093
302	0.089
300/1	2.023
307/1	0.064
200	0.235
योग 110	19.296

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी तलाइपाली कोल माईन्स परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्रमांक 46/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जुर्डा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.946 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17/2	0.607
17/3	0.061
17/4	0.081
17/5	0.121
17/7	0.303
18	0.182
24/1	0.053
25/1	0.020
31/7	0.226
31/22	0.483
31/24	0.024
34/5	0.004
35/4 क	0.202
47	0.129
50	0.243
51	0.040
64/1	0.170
64/2	0.121
65/4	0.036
65/8	0.010
66/4	0.040
66/5	0.040
66/6	0.028
66/7	0.028
68/1	0.066
68/3	0.008
68/7	0.024
69/11	0.065
69/4	0.065
69/7, 69/8, 69/10	0.108
69/9	0.065
73/1	0.146
105/1	0.028
106/1	0.323
106/4	0.032
106/5 ख	0.040
106/5 क	0.029
106/5 ग	0.040
129/2	0.008
130	0.323
166/1, 167/1	0.243
166/2, 167/2	0.028
250/3	0.145
252/2	0.020
253/1	0.263
253/4	0.020
253/5	0.020
253/6	0.020
326/3	0.344
326/5	0.214
326/6	0.214
326/7	0.121
326/8	0.117
326/9	0.154
327/2	0.008
341/2	0.259
343/2	0.012
344/1	0.012
347/1	0.085
248/2	0.162
349/2	0.089
350/4	0.053
350/6	0.202
564/12	0.065
51	0.020
52	0.287
53	0.040
54/1	0.024
54/2	0.020
54/3	0.020
54/4	0.065
56	0.360
57	0.024

(1)	(2)
58/1	0.008
58/4	0.133
59/2	0.012
60	0.073
60	0.049
61/1	0.081
61/4	0.081
63/4	0.255
73/2	0.125
74/2	0.040
76/1	0.243
77/1	0.053
77/2	0.106
78/11	0.142
78/3	0.231
78/4	0.081
78/5	0.967
78/8	0.312
78/9	0.146
79	0.232
82/1	0.898
94	0.004
95/2	0.154
99/7	0.142
326/17	0.097
253/7	0.109
256/2	0.145
259/1	0.060
260	0.121
293/1	0.305
293/3 क, 293/8 क	0.375
293/7	0.101
293/8 ग	0.032
293/9	0.081
295/2	0.069
295/4	0.061
295/5	0.032
300	0.069
324/2	0.101
324/5	0.105
326/16	0.089
96/2	0.243
564/13	0.069
564/14	0.069
564/3	0.065
566/2	0.126
567	0.028
568/1	0.008
568/2	0.008
568/3	0.004
568/4	0.016
573/3	0.061
573/6	0.061
573/7	0.061
573/8	0.061
573/9	0.061
574/2	0.036
96/1	0.028
78/6	0.069
योग 132	15.946

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी तलाइपाली कोल माईन्स परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्रमांक 47/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-टारपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-24.807 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
605/1	0.064
608	0.182

(1)	(2)	(1)	(2)
609/1	0.423	503	0.222
609/2	0.208	634/28	0.477
610/1	0.246	634/5/क	0.141
610/2	0.036	82	0.008
610/4	0.021	81/1	0.037
617/1	0.020	81/2	0.020
617/2	0.032	81/3	0.024
617/3	0.036	80	0.040
617/4	0.036	51	0.458
619/1	0.425	1/36	0.101
619/2	0.141	34/1	0.087
619/3	0.141	2	0.324
620	0.012	1/2	0.067
621/1	0.020	1/44	0.067
618	0.223	1/45	0.067
627/1	0.032	1/46	0.067
627/2	0.032	1/47	0.067
628	0.595	1/48	0.070
629	0.020	1/42	0.304
633	0.129	35	0.412
12/2	0.310	527/13	0.121
520/3	0.228	527/10	0.041
520/5	0.396	527/14	0.072
520/6	0.110	527/11	0.081
522	0.159	527/12	0.042
521	0.182	527/15	0.061
516	0.220	1/10	0.008
515/1	0.121	1/11	0.407
514/1	0.127	1/12	0.060
514/4	0.121	1/14	0.250
514/7	0.101	1/15	0.160
514/8	0.053	1/16	0.060
510/3	0.304	617/5	0.008
509/2	0.162	5	0.404
634/27	0.121	6/1	0.180
515/5	0.040	6/3	0.682
84/1	0.008	9/2	0.380
84/2	0.008	9/3	0.040
83	0.413	9/4	0.040
79	0.222	8	0.274
36/1	0.296	10/1	0.320
36/2	0.360	10/2	0.202
36/3	0.809	10/3	0.808
31/1	0.823	10/4	0.202
507/1	0.217	11/1	0.720
506	0.077	11/2	0.121
505	0.093	11/3	0.222
513	0.162		

	(1)	(2)
	12/1	0.340
	12/3	0.340
	22	0.061
	24/2	0.082
	24/3	0.069
	25/2 ख	0.203
	24/1	0.061
	30/3	0.101
	25/2 क	0.081
	28/1	0.041
	30/1	0.211
	30/2	0.261
	31/2	0.282
	32	0.201
	33/2	0.120
	123/1	0.210
	123/2	0.101
	128/1	0.460
	128/2	0.340
	128/3	0.303
	128/17	0.160
	130	0.101
	146	0.251
	143/1	0.041
	143/2	0.300
	144	0.305
	166	0.590
	167/2	0.190
	168/1	0.163
	168/3	0.142
	169/1	0.204
	50/2	0.121
	6/2	0.028
योग	130	24.807

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी तलाइपाली कोल माईन्स परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्रमांक 48/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-बडमाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.834 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
22/1	0.036
22/2	0.065
23	0.121
24/1	0.364
25	0.628
26/1	0.020
26/3	0.275
29/1	0.073
29/3	0.121
29/4	0.085
30	0.198
40/4	0.020
88	0.004
90	0.020
91/1	0.145
91/2	0.036
91/3	0.036
92	0.113
93/1	0.080
93/2	0.121
96/1	0.012
106	0.101
107	0.085
108	0.081
111/1	0.008

(1)	(2)
143/1	0.020
144	0.231
145	0.036
146	0.020
147	0.024
214/1	0.182
214/3/2	0.225
215/1 क	0.036
217	0.061
220	0.012
221/1	0.265
221/1	0.020
221/2	0.085
224	0.020
225	0.061
226/1	0.571
226/2	0.567
227	0.186
228	0.263
229	0.053
230	0.466
231/1	0.126
231/2	0.145
232/1	0.028
232/2	0.093
232/3	0.085
233/1	0.121
233/2	0.105
234/1	0.081
235/2	0.065
235/3	0.093
237	0.105
238	0.093
239/1	0.198
239/2	0.202
249	0.053
250	0.203
251/1	0.053
251/2	0.018
253	0.081
265	0.445
266/1	0.040
221/3	0.129
254	0.020
योग 69	8.834

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी तलाइपाली कोल माईन्स परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्रमांक 49/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सम्बलपुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.983 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
217/1	0.049
217/4	0.099
221	0.174
217/2	0.040
217/7	0.040
217/3	0.040
217/6	0.040
217/5	0.040
217/8	0.064
218	0.664
213/3	0.012
219	0.445
220	0.016

(1)	(2)
213/5	0.113
213/6	0.048
222	0.652
223	0.397
226	0.150
227/1	0.180
227/2	0.506
225/2 क	0.012
225/2 ख	0.202
योग 22	3.983

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी तलाइपाली कोल माईन्स परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्रमांक 54/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चिटकाकानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.747 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10/5 ग	0.061
10/18 ख	0.016
10/33	0.130
10/42	0.049
10/45	0.061
10/62	0.032
10/66	0.097
10/67	0.032
10/77	0.089
10/96	0.012
10/97	0.045
10/102	0.020
10/103 ग	0.061
10/105	0.024
10/110	0.101
10/111	0.004
10/113	0.016
10/118	0.061
10/216	0.020
10/140	0.129
10/147	0.113
10/193	0.101
10/208	0.101
10/215	0.020
12/7	0.101
12/9	0.125
12/14	0.069
10/18 क	0.021
10/18 ग	0.016
10/18 घ	0.020
योग 30	1.747

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी तलाइपाली कोल माईन्स परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्रमांक 58/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कोसमपाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.410 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	79/2, 203/1	0.101
	79/3, 203/2	0.081
	160	0.048
	161	0.024
	163	0.065
	168	0.077
	169	0.040
	170	0.040
	183	0.242
	184	0.036
	130/2ग	0.341
	136/1	0.101
	136/3	0.146
	139/2	0.445
	139/8	0.008
	159/2	0.206
	159/6	0.125
	162/2	0.081
	162/4	0.202
	165/6	0.064
	165/7	0.121
	166/1 क	0.214
	166/1 ख	0.024
	166/2	0.040
	167/1	0.040
	180/2	0.040
	180/3	0.121
	181/2	0.161
	182/3	0.040
	185/3	0.202
	187/1	0.097
	187/2	0.101
	195/1, 199/2	0.101
	195/2, 199/1	0.064
	164	0.324
	130/2 ख/4	0.161
	151/2	0.040
	200	0.097
	201	0.129
	208	0.032
	204/1	0.142
	204/2	0.084
	204/4	0.101
	205/1	0.008
	205/2	0.049
	206/3	0.077
	206/4	0.008
	206/5	0.161
	207/1	0.061
	207/2	0.061
	209/1	0.068
	210/7	0.150
	132/2	0.024
	133/2	0.016
	131	0.709
	134	0.069
योग	58	6.410

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी तलाइपाली कोल माईन्स परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मई 2016

क्रमांक 41/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-गोपालपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.568 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
227/3	0.122
227/4	0.081
218/1	0.180
218/2	0.089
215	0.405
214	0.242
230/4	0.216
236/5	0.060
272/5	0.024
237/3	0.096
251/1	0.650
252	0.146
67/3	0.012
251/2	0.242
255	0.028
266/1	0.101
264	0.186
251/3	0.338
256	0.028
257/2	0.301
262	0.405
261	0.053
266/2	0.070
266/3	0.040
212	0.618
210	0.086
211/1	0.263
65/1	0.128
211/2	0.242
65/2 क	0.101
188/3	0.121
187/1	0.202
186	0.093
185	0.129
184	0.290
49/1	0.081
89/1	0.534
89/2	0.154
88	0.393
265/2	0.227
67/4	0.150
67/6	0.226
85	0.040
66	0.101
211/4	0.040
211/3	0.162
57/2	0.040
55	0.020
57/2	0.040
56	0.012
योग	8.568

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी तलाइपाली कोल माईन्स परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मई 2016

क्रमांक 44/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-विश्वनाथपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.366 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/3	0.089
121/5	0.012
121/6	0.061
122/1	0.162
123/2	0.202
250/5	0.242
250/9	0.121
252	0.020
254	0.202
253	0.162

(1)	(2)
261	0.101
265/1	0.486
265/2	0.506
योग 13	2.366

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी तलाइपाली कोल माईन्स परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मई 2016

क्रमांक 53/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोतरलिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-22.724 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
558/4	0.040
226/3	0.405
44/1	0.405
90/1	0.158
91/1	0.032
212/2	0.263
80/3	0.121
288	0.162
287	0.113
3/14	0.198
108/11	0.405
1/6	0.113
1/5 क	0.040
1/31 क	0.131
3/12 ख	0.025
270/6	0.324
276/2	0.097
278/6	0.202
272/9, 273/9, 274/9	0.158
270/7	0.024
412/1	0.222
270/3	0.101
452/2	0.304
563/1	0.091
528/1	0.082
45/1	0.202
45/3	0.101
453/8, 454/8	0.097
81	0.199
515	0.089
285/2	0.202
1/8	0.069
1/5 ख	0.041
1/18	0.194
3/12 क	0.024
3/16	0.057
3/8	0.093
1/50	0.206
1/25	0.397
1/12	0.008
1/35	0.040
3/1	0.275
1/56	0.202
2	0.146
3/5	0.077
88	0.353
94/1	0.105
282/3	0.061
453/4, 454/4	0.024
282/1	0.405
82/2	0.318
82/3	0.202
83/4	0.081
83/5	0.032
563/4	0.091
217/4	0.027
219/2	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
218/9	0.035	224	0.122
79/1	0.024	210/4	0.101
50/1	0.263	104/2	0.263
203/1	0.809	83/1 ख, 83/2 ख	0.121
3/4	0.142	523	0.263
1/57	0.101	516/1	0.081
526	0.049	104/1	0.061
451	0.113	500	0.020
452/1	0.024	501/1	0.222
226/2	0.057	453/1, 454/1	0.324
210/1	0.073	276/1	0.088
209/3	0.235	277/2	0.689
279/2	0.150	271/3	0.081
283	0.081	271/2, 279/1	0.304
408	0.323	529/1	0.040
409	0.101	215/1	0.057
217/3	0.028	413	0.113
218/1	0.036	80/2	0.243
1/14	0.069	562	0.061
101/1	0.040	52	0.202
277/1	0.081	285/1	0.809
217/5	0.027	1/20	0.015
218/3	0.036	1/10	0.105
214	0.065	1/1	0.231
202	0.202	72/1	0.016
95/2	0.040	209/1	0.255
68/1	0.060	218/4	0.035
85	0.138	217/6	0.027
86	0.142	215/2	0.057
87	0.405	210/2	0.053
96	0.081	514	0.020
70/2 ख	0.096	217/1	0.105
90/2	0.121	216/2	0.105
516/2	0.182	212/1	0.389
104/3	0.101	278/2	0.020
49	0.004	100/2	0.020
528/2	0.032	93/3	0.012
528/4	0.049	1/27	0.405
79/2	0.065	289	0.162
50/2	0.385	565	0.323
272/2, 273/2, 274/2	0.255	566	0.008
272/3, 273/3, 274/3	0.153	282/2	0.194
272/5, 273/5, 274/5	0.154	527	0.134
272/10, 273/10, 274/10	0.089	215/3	0.065
563/2	0.046	205	0.397
567/2	0.101	206	0.101
567/1	0.081	505/1	0.486
107	0.020	455	0.081

	(1)	(2)
	207/1	0.032
	207/1	0.032
योग	155	22.724

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी तलाइपाली कोल माईन्स परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मई 2016

क्रमांक 56/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लोईंग
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.645 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	7/2	0.141
	7/5	0.008
	7/6	0.591
	7/9	0.089
	7/11	0.180
	9/1	0.089
	11/5	0.121
	11/6	0.263
	32/12	0.040
	32/13	0.101
	32/16	0.040
	32/23	0.068
	32/24	0.202
	39/2	0.081
	40/1	0.093
	40/2	0.008
	62/8	0.010
	62/10	0.085
	62/13	0.441
	62/14	0.089
	32/27	0.061
	32/32	0.081
	32/33	0.202
	34/1	0.453
	35	0.121
	36/2	0.376
	39/1	0.141
	62/15	0.016
	62/16	0.105
	62/17	0.145
	62/23	0.170
	62/44	0.299
	62/9	0.186
	66/2	0.101
	68/4	0.682
	68/5	0.682
	70/2	0.016
	71	0.020
	72	0.032
	79/5	0.016
योग	40	6.645

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी तलाइपाली कोल माईन्स परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मई 2016

क्रमांक 57/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-रेंगालपाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.967 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	12/1	0.724
	13	0.862
	14	0.045
	15	0.462
	22	0.198
	23	0.450
	24	0.121
	26	0.008
	27	0.097
योग	9	2.967

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी तलाइपाली कोल माईन्स परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
(ख) तहसील-मस्तूरी
(ग) नगर/ग्राम-जैतपुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.21 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
18	0.07
19/1	0.79
23/1	0.65
19/2	0.75
19/3	0.22
19/4	0.82
19/6	0.70
19/5	0.30
19/7	0.23
19/8	0.79
23/3	0.65
19/9	0.20
19/10	0.39
19/11	0.35
19/12	0.37
262/6	0.06
20/2	1.10
20/3	0.55
21/1	0.70
21/2	2.00
23/2	0.20
24/6	0.50
94	0.16
97/2	0.30
99	0.25
162/4	0.10
163/1	0.10
163/2	0.40
163/16	0.13
165/1	0.10
19/13	0.28
20/1	0.55
262/8	0.04
164/5	0.04

(1)	(2)
171/2	0.37
योग	15.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जैतपुरी जलाशय योजना शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-विद्याडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.16 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
21/3	0.03
22	0.07
23	0.15
24	0.16
25	0.02
38/1	0.06
44	0.17
40	0.12
38/2	0.06
28	0.04
37	0.10
39	0.27
42	0.38
43	0.16
41	0.25
201/1	0.66
202/1	0.91
270/1	0.17
276	0.06
202/3	0.09
277	0.14
216/2	0.40
217/4	0.33
279/4	0.23
217/1	0.09
215	0.07
260/5	0.46
541/5	0.34
260/3	0.48
260/1	0.24
280/2	0.27
281	0.04
282	0.02
283	0.03
284/2	0.34
506	0.09
498/6	0.64
279/3	0.19
280/3	0.12
279/1	0.11
280/1	0.22
284/3	0.60
337/2	2.47
541/3	0.11
541/4	0.20
541/2	0.07
541/1	0.42
541/6	0.11
541/7	0.38
536/2	0.19
537/2	0.32
536/3	0.20
535/8	0.22
536/1	0.10
498/4	0.22
535/1	0.15
498/1	0.06
507/2	0.07
502/1	0.09
505/2	0.02
278/2	0.26

(1)	(2)
275/2	0.12
274	0.24
275/1	0.32
273	0.20
272	0.25
268	0.06
278/1	0.14
336/1	0.23
504/4	0.07
504/1	0.06
504/3	0.03
498/3	0.06
502/2	0.10
503/1	0.15
503/2	0.09
योग	17.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरारी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत फीडर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-केंवटाडीह (भूतहा)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-30.58 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
44/1	0.86
43	0.08
42/1	0.58
42/2	0.58
40/1	0.02
40/2	0.01
40/4	0.31
35/1	0.51
34/1	0.10
34/2	0.13
336	0.10
334/1	0.12
338/1	0.09
344/3	0.14
335/2	0.30
346	0.35
329/1	0.36
327	0.34
334/2	0.11
343/2	0.24
343/1	0.16
344/1	0.28
344/2	0.12
345	0.25
447	0.53
331/1	0.07
330/2	0.22
330/4	0.10
330/1	0.45
330/3	0.22
326	0.50
44	0.20
325/1	0.22
325/2	0.18
450/1	1.30
450/2	0.34
457/2	0.55
457/1	0.28
458	0.02
462	0.35
463	0.07
464	0.21
465/1	0.28
465/2	0.11
466/1	0.07

(1)	(2)
466/2	0.36
491	0.20
490/1	0.76
492/2	0.12
492/3	0.24
492/1	0.33
488/3	0.30
488/5	0.09
488/6	0.37
498	0.13
499	0.14
521/2	0.39
523	0.39
522/1	0.55
522/2	0.12
678/1	0.07
535/2	0.12
536/1	0.59
1274/1	0.36
541/3	0.27
540	0.10
542	0.40
543/1	0.43
543/2	0.05
565/17	0.34
565/50	0.34
565/38	0.06
565/62	0.41
565/1 क	0.02
746/3	0.32
745/1	0.08
676	0.14
726	1.73
775	0.40
677	1.36
736	0.23
735	0.04
719	1.84
718	0.38
717	0.90
710/4	0.71
710/3	0.31
712	0.15
711	0.15
709/2	0.48
709/1	0.03
704	0.63
329/2	0.24
योग	30.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरारी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत फीडर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-सोनसरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-23.12 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
69/2	0.77
69/3	0.56
75/1	0.64
76/5	0.24
76/1	0.17
76/6	0.19
75/2	0.15
75/3	0.31
84/2	0.62
76/2	0.16
76/4	0.16
76/3	0.41
84/3	0.12
85/1	0.35

(1)	(2)
86	0.48
85/2	0.46
85/3	0.23
20/1	0.18
20/4	0.50
26/1	0.33
20/2	0.44
21/1	0.63
21/3	0.13
21/2	0.38
22/1	0.39
14	0.50
22/8	0.10
22/9	0.10
22/7	0.42
22/10	0.16
22/11	0.09
22/12	0.06
206/1	0.57
206/2	0.40
210/4	1.08
210/5	0.76
207/1	0.14
210/15	0.13
207/3	0.16
210/12	0.49
210/9	0.90
210/10	0.02
294	0.18
293	0.44
292/1	0.17
292/4	0.19
292/3	0.40
289	0.73
297	0.28
324/1	0.29
288	0.29
324/2	0.25
325/1	0.27
325/2	0.12
325/12	0.12
325/4	0.27
325/3	0.27
325/5	0.29
325/9	0.01
325/7	0.22
325/10	0.25
325/11	0.02
326/1	0.84
272/3	0.21
272/4	1.43
732/12	0.13
732/3	0.13
732/10	0.12
732/11	0.12
योग	23.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरारी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत फीडर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-बोहारडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-28.20 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
163/1	0.48
166/1	0.02
165/1	0.45
165/2	0.44
161/1	0.09

(1)	(2)
161/2	0.08
161/3	0.05
161/4	0.07
161/5	0.05
161/6	0.07
161/7	0.07
161/8	0.04
160/1	0.15
160/2	0.28
160/3	0.18
160/5	0.14
160/6	0.14
160/7	0.15
168/10	0.17
177/17	0.25
160/4	0.15
167/2	0.20
167/3	0.22
168/1	0.18
168/5	0.06
168/2	0.16
187/22	0.16
187/18	0.05
168/4	0.50
157/1	0.10
177/14	0.32
156/1	0.07
177/1	0.42
177/6	0.37
177/2	0.59
177/3	0.26
181/1	0.51
181/2	0.51
180/4	0.94
180/5	0.07
180/2	0.36
180/3	0.13
182/1	0.11
182/2	0.07
187/1	0.29
187/8	0.30
187/25	0.47
187/23	0.17
187/17	0.24
187/10	0.09
187/6	0.17
187/14	0.30
187/24	0.46
187/20	0.19
512/1	0.31
512/2	0.58
185/17	0.05
186/2	0.04
185/6	0.35
185/5	0.10
185/10	0.20
192/2	0.02
530	1.60
533	0.07
531/2	0.63
529	0.24
521/1	0.22
519/2	0.14
521/4	0.22
519/4	0.20
519/1	0.16
519/3	0.14
520/3	0.29
515/1	1.58
516/2	0.24
511/1	0.56
514/1	0.04
513/5	0.22
513/3	0.32
513/4	0.08
513/1	0.24
489/2	0.07
496/1	1.58
496/2	0.44
492/2	0.21
492/1	0.16
496/5	0.26
497/1	0.37
495/1	0.14
495/2	0.20
495/3	0.04
579/7	0.12
579/3	1.18
579/6	0.78
579/4	0.29
580/1	0.80

(1)	(2)
580/2	0.16
योग	28.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरारी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत फीडर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-अकोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
277	0.40
278	0.40
योग	0.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अकोला एनीकट योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-उमरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.73 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	150	0.20
	151/1	0.19
	151/2	0.19
	36	0.70
	32	0.36
	33	1.83
	34	0.34
	35	0.16
	29	0.10
	20/1	0.11
	31	0.13
	30	0.10
	20/2	0.07
	24	0.25
योग	14	4.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उमरिया जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र एवं बांध पार हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 मई 2016

क्रमांक 18/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भरनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.681 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	74	0.372
	92/2	0.457
	95/1	0.194
	120	0.364
	124/1	0.028
	124/2	0.113
	125/1	0.174
	129/2	0.243
	124/3	0.146
	129/1	0.530
	130/2	0.809
	185	0.162
	183	0.089
योग	13	3.681

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2016

क्रमांक/551/बीजापुर.व.भू.-उप./नग्रानि/2016.— एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बीजापुर निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टरों को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है. और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय नगर पालिका परिषद् कार्यालय भवन बीजापुर (प्रदर्शनी स्थल) जिला बीजापुर, कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर एवं कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संयुक्त जिला कार्यालय भवन द्वितीय तल जगदलपुर कक्ष क्र. 31 में दिनांक 20 अप्रैल 2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्य दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. बीजापुर निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में दर्शित है :—

अनुसूची

बीजापुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मांझीगुडा एवं तुरनार की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम तुरनार एवं बीजापुर की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम बीजापुर एवं जैतालूर की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम जैतालूर एवं ईटपाल की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समयावधि के भीतर लिखित रूप से उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हों, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जायेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पालिका परिषद कार्यालय भवन बीजापुर.

No. 551/Bijapur.EXT.L./T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use map for Bijapur Planning Area has been prepared under section 15 sub section (1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from dated 20-04-2016 during office hours in the Office of the Nagar Palika Parishad (Exhibition Venue) Bijapur, Office of the Collector, District Bijapur & Office of Deputy Director, Town & Country Planning, Collectorate Compound Composite Building Jagdalpur, Dist. Bastar. The limit of the Bijapur Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Bijapur Planning Area

NORTH : Village Majhiguda and Turnar to the Northern limit.
EAST : Village Turnar and Bijapur upto the Eastern limit.
SOUTH : Village Bijapur and Jaitaloor upto the Southern limit.
WEST : Village Jaitaloor and Itpal upto the Western limit.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map as prepared it should be sent in writing to the Deputy Director, Town & Country Planning Jagdalpur within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by Director.

Place of Inspection : Nagar Palika Parishad Bhavan, Bijapur.

डी. के. बघेल,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 10th May 2016

No. 311/Confdl./2016/II-3-1/2016.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office (s) :—

TABLE

Sl. No.	Name & presently posted as	From	To	Revenue District	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Mohit Singh, Civil Judge Class-II.	Kanker	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	I Civil Judge Class-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Ku. Akanksha Bhardwaj, I Civil Judge Class-II.	Ambikapur	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	Civil Judge Class-II

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

Bilaspur, the 7th April 2016

No. 12/Comp./2016.—Whereas a Departmental Enquiry is contemplated against Shri Ashwani Kumar Chaturvedi, III Civil Judge Class-I and Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur for his grave misconduct.

And Whereas serious nature of act of misconduct warrants his suspension from service.

Therefore, in exercise of the powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, the High Court hereby places Shri Ashwani Kumar Chaturvedi, III Civil Judge Class-I and Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur under suspension with immediate effect in contemplation of the Departmental Enquiry. During period of suspension or until further orders the Head Quarter of Shri Ashwani Kumar Chaturvedi shall be at Raipur. The subsistence allowance shall be paid to him as per rules.

बिलासपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2016

क्रमांक 110/दो-2-11/2007.—श्री मकरध्वज जगदल्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी दिनांक 31-03-2016 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्रमांक 3289/दो-15-2/2012.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक 3618/दो-15-2/2012 दिनांक 09-05-2013 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 3526/21-ब/13 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 एवं अधिसूचना पृ. क्रमांक 3859/986/21-ब/16 दिनांक 18 अप्रैल 2016 द्वारा गठित तथा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश के फास्ट ट्रेक न्यायालय (महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए) दिनांक 24-06-2016 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे जिनका सीमा क्षेत्र जिला मुख्यालय के अन्तर्गत आने वाला सीमा-क्षेत्र होगा :—

सारणी

स. क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के फास्ट ट्रेक न्यायालय	
		बैठने का स्थान	फास्ट ट्रेक न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बालोद	बालोद	1
2.	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	1

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	बस्तर (जगदलपुर)	जगदलपुर	1
4.	बेमेतरा	बेमेतरा	1
5.	बिलासपुर	बिलासपुर	1
6.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	1
7.	धमतरी	धमतरी	1
8.	दुर्ग	दुर्ग	1
9.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर	1
10.	जशपुर	जशपुर	1
11.	कबीरधाम (कवर्धा)	कवर्धा	1
12.	कोण्डागांव	कोण्डागांव	1
13.	कोरबा	कोरबा	1
14.	कोरिया (बैकुंठपुर)	बैकुण्ठपुर	1
15.	महासमुंद	महासमुंद	1
16.	रायगढ़	रायगढ़	1
17.	रायपुर	रायपुर	1
18.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1
19.	सूरजपुर	सूरजपुर	1
20.	सरगुजा (अंबिकापुर)	अम्बिकापुर	1
21.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	कांकेर	1

No. 3289/II-15-2/2012.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 3618/II-15-2/2012 dated 09-05-2013, the High Court hereby directs that the Fast Track Courts of Additional District Judge (for trial of cases regarding Crime against Women) as constituted and established by the Law Department Notification No. 3526/21-B/13 dated 30-04-2013 and endt. Notification No. 3859/986/21-B/16 dated 18-04-2016 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the date 24-06-2016 at the places specified against them in the table below for the area falling under the jurisdiction of district headquarters :—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil District	Fast Track Courts of Additional District Judge	
		Place of sitting	No. of Fast Track Court
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Balod	Balod	1
2.	Balodabazar	Balodabazar	1
3.	Bastar (Jagdalpur)	Jagdalpur	1
4.	Bemetara	Bemetara	1
5.	Bilaspur	Bilaspur	1
6.	Dakshin Bastar Dantewara	Dantewara	1
7.	Dhamtari	Dhamtari	1
8.	Durg	Durg	1
9.	Janjgir-Champa	Janjgir	1
10.	Jashpur	Jashpur	1
11.	Kabeerdham (Kawardha)	Kawardha	1

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Kondagaon	Kondagaon	1
13.	Korba	Korba	1
14.	Koriya (Baikunthpur)	Baikunthpur	1
15.	Mahasamund	Mahasamund	1
16.	Raigarh	Raigarh	1
17.	Raipur	Raipur	1
18.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	1
19.	Surajpur	Surajpur	1
20.	Surguja (Ambikapur)	Ambikapur	1
21.	Uttar Bastar (Kanker)	Kanker	1

By order of the High Court,
RAJNI DUBE, I/c Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2016

क्रमांक/120/दो-3-13/2008.—श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), दुर्ग (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक/133/दो-2-15/2007.—श्रीमति विमला सिंह कपूर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा) (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 13-04-2016 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.